कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकःविकास/2024/46 दिनांकः 05–01–2024

–: आदेश :–

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/मा–स/शीतलहर,लू(60)/वो.–2/2023 दिनॉक 04.01.2024 द्वारा अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिलें में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तन/विद्यार्थियों के लिए अवकाश करने हेतु अधिकृत किया गया है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा ने कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप बढने व शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सर्दी का प्रकोप बढ़ने व शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए कोटा जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक 13 जनवरी, 2024 (शनिवार) तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय/निजी विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी ।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांकःविकास/2024/46 दिनांकः 05–01–2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1– निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2– संभागीय आयुक्त महोदया, कोटा संभाग कोटा
3– जिला पुलिस अधीक्षक, शहर/ग्रामीण कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

4– संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा
5– संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कोटा
6– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा
7– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक कोटा
8– उपखंड अधिकारी कोटा/रामगंजमंडी/दीगोद/इटावा/सांगोद/कनवास
9– उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग कोटा को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
10– निजी सहायक, जिला कलक्टर कोटा

अति0 जिला कलक्टर,
कोटा

☎0744-2451200(O)2451100(R)0744-2323883(Fax) E-mail : dm-kot-rj@nic.in, rajkot@nic.in